भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 147
उत्तर देने की तारीख :14.09.2020

महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं

147. श्री सुनील कुमार पिन्टूः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो लॉकडाउन के कारण लंबित हैं, कब और किस प्रकार आयोजित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर दिशानिर्देश दिनांक 29.04.2020 और संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 06.07.2020 को जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। दिनांक 06.07.2020 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालयों को कोविड-19 महामारी से संबन्धित निर्धारित प्रोटोकॉल / दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ऑफ़लाइन (पेन एंड पेपर) / ऑनलाइन / मिश्रित (ऑनलाइन + ऑफ़लाइन) मोड में सितंबर, 2020 के अंत तक परीक्षाएं पूरी करनी हैं। इस मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.07.2020 के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सावधानियों के साथ परीक्षा के आयोजन के लिए एक विस्तृत एसओपी भी जारी किया है।

इसके अलावा, यूजीसी के संशोधित दिशानिर्देश और मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.07.2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 28.08.2020 के निर्णय में मामलों के बैच का निपटारा किया है और आदेश दिया है कि यदि किसी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में निर्णय लिया गया है कि अंतिम वर्ष / टर्मिनल सेमेस्टर कि परीक्षा 30.09.2020 तक करा पाना संभव नहीं है, तो ऐसे राज्य / केंद्र शासित प्रदेश उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के लिए 30.09.2020 की समय सीमा बढ़ाने के लिए यूजीसी को एक आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। यह यूजीसी द्वारा माना जाएगा और ऐसे राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में, यथाशीघ्र पुनर्निर्धारित तिथि को सूचित किया जाएगा।

*****